



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 1659 वर्ष 2026

श्रीमती गुड़िया
याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य
.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	सनील कुमार सिंह, उमापति लाल
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता	:	बिंदेश्वरी प्रसाद, जीए, महेंद्र प्रताप सिंह

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता
माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. अधिवक्ता श्री महेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत में बयान दिया है कि उन्होंने प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से इस न्यायालय की रजिस्ट्री में 02.02.2026 को अपना वकालतनामा दाखिल किया है, हालांकि, यह अभिलेख में नहीं है।
2. कार्यालय को वकालतनामा का पता लगाने और उसे अभिलेख में दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है।
3. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान एजीए श्री महेंद्र प्रताप सिंह, प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख का परिशीलन किया।
4. प्रारंभ में ही याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने अदालत में यह बयान दिया है कि वे इस रिट याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहते और इसे वापस लेना चाहते हैं।
5. राज्य के विद्वान एजीए और प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता को उपरोक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।
6. उपरोक्त के मद्देनजर, यह रिट याचिका वापस ले ली गई मानकर खारिज की जाती है।

4 फरवरी, 2026

वीकेजी

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"